कार्यालय नगरपालिका परिषद, अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Email ID - cmoamarwada@mpurban.gov.in Phone No. - 07167 - 222221

क्रमांक / 20 / लो.नि. / न.पा.प. / 2026 — अमरवाड़ा, दिनांक– 18 / 04 / 2026

/ / ई–निविदा आमंत्रण सूचना / /

एतद् द्वारा लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार / फर्म से अधोलिखित विवरण अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिनांक 08 / 11 / 2025 एवं ससमस्त संसोधन सहित प्रभावशील प्रचलित आई.एस.एस.आरके आधार पर कम / अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

ई निविदा क्रमांक	कार्य का नाम एवं विवरण	प्राक्कलन राशि (रू0 में)	धरोहर राशि (रू, में)	निविदा फार्म का शुल्क	श्रेणी	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
2026_UAD _501639_1	नगर के विभिन्न वार्डो में चेम्बर निर्माण कार्य।	**385810/-**	3900 / –	**2000/-**	**New PWD Reg.**	2 माह
2026_UAD _501640_1	नगर के विभिन्न वार्डो में पाईप लाईन विस्तार कार्य।	**1276552/-**	9600 / –	**2000/-**	**New PWD Reg.**	4 माह

शर्ते –

1. निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी वेबसाईट **https://www.mptenders.gov.in**के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगी ।
2. ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय दिनांक 18 / 04 / 2026 से 25 / 05 / 2026 सायं 5:30 बजे तक है ।
3. ऑनलाईन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि 25 / 05 / 2026 सायं 5:30 बजे तक है ।
4. अमानत राशि एवं अन्य समस्त निविदा संबंधी दस्तावेज (हार्ड कापी) केवल ऑनलाइन ही मान्य की जावेगी। निविदा दिनांक 27 / 05 / 2026 समय 11:00 से खोली जावेगी ।
5. टेण्डर फार्म–ए में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा –
   (अ) अमानत राशि (EMD) (ब) निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit)
   (स) लो0नि0वि0 (PWD) का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र । (द) पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. नं.।
6. टेण्डर फार्म–बी में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा –
   (अ)टेण्डर फार्म एवं NIT के अनुसार ''अन्य टेक्नीकल बिड दस्तावेज''
7. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
8. टेण्डर फार्म में अमानत राशि के साथ अन्य दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा ।
9. निविदा के समस्त अधिकार नगर पालिका परिषद अमरवाड़ा के पास सुरक्षित होगें।
10. निविदाकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग / शासन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
11. निविदा में जी.एस.टी. छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी. का भुगतानतत्समय प्रचलित दर से किया जावेगा ।
12. निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत जिला श्रम पदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनिमय एव समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप–05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात् ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा । पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी ।
13. निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्ते तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं है के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश / दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे ।
14. योजना अंतर्गत शासन द्वारा प्रदाय राशि के आधार पर ही भुगतान यथासमय किया जावेगा, जिसे निविदाकार को मान्य होगा।
15. अतिरिक्त जानकारी वेबसाईट **https:// www.mptenders.gov.in** पर टेण्डर डाक्यूमेंट पर देखी जा सकती है या कार्यालय नगर पालिका परिषद अमरवाड़ा में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।

नोट – (1) निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाईन संशोधन किया जावेगा, न्यूज पेपर में नहीं।
(2) निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण देना अनिवार्य होगा। ब्वेज म्ेबंसंजपवद ब्संनेम लागू नहीं होगा

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद अमरवाड़ा

पृष्ठा. कमांक / 20 / 2026 — अमरवाड़ा दिनांक– 18 / 04 / 2026

प्रतिलिपि –

1. संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संभाग जबलपुर की ओर सूचना पटल में चस्पा हेतु सादर सूचनार्थ।
2. कार्यालय नगर पालिका परिषद अमरवाड़ा के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
3. दैनिक समाचार पत्र.. को उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन कम से कम स्थान एवं कम दर पर, प्रकाशित विज्ञापन की मूलप्रति बिल के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Disha Dehariya
Date: 2026.04.18 17:12:44 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद अमरवाड़ा